National Association of Street Vendors of India (NASVI)

सेवा मे,
श्री नरेंद्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री
भारत सरकार
नई दिल्ली

दिनांक: 21-03-2020

विषय : कोविद - 19 संकट से असंगठित क्षेत्र को बचाने हेतु 1,00,000 करोड़ो का राशि शीघ्र निर्धारित हेतु निवेदन |

माननीय महोदय,

कोविद -19 महामारी के भारी परिणामों से अनौपचारिक क्षेत्र को सबसे अधिक नुकसान पहुंच रहा है। अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों का 93% कार्यबल भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सरकार द्वारा सामाजिक दूरी बढ़ाने और बाजारों को बंद करने पर जोर देने के साथ, यह सुनिश्चित करने के लिए यह नीतिगत पहल जरूरी है कि **COVID -**19 से किए जा रहे बाचाव के उपाय उन्हें विनाश की ओर न ले जाएं।

देश में लगभग 44 करोड़ असंगठित श्रमिक घरेलू कामगार, दिहाड़ी मज़दूर, निर्माण मज़दूर, ईंट बनाने वाले मज़दूर, हाथ से काम करने वाले मज़दूर, गृह आधारित मज़दूर, मनोरंजन उद्योग के मज़दूर, स्ट्रीट वेंडर, ऑटो रिक्शा मज़दूर, ऑटो माल वाहक मज़दूरों , सेवा उद्योग के कर्मचारी विशेष रूप से खाद्य और होटल व आतिथ्य क्षेत्र, रेस्तरां के श्रमिक, गिग इकोनॉमी वर्कर्स जैसे डिलीवरी बॉय, ओला और उबर ड्राइवर, कूड़ा बीनने वाले वर्कर, होम बेस्ड वर्कर आदि।

अखिल भारतीय असंगठित कामगार काँग्रेस (AIUWC) **की ओर से**, **हम मांग करते हैं कि:**

1. केंद्र सरकार के टास्क फोर्स कोविद - 19 संकट ने निपटने हेतु 1,00,000 करोड़ो का राशि निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान मे रख कर सृजन करे **|**
2. शहरी क्षेत्रों में नगर निकायों व ग्रामीण क्षेत्रों में जिला प्रशासन के माध्यम से अस्थायी राशन कार्ड प्रदान करके सभी असंगठित श्रमिकों को तीन महीने के लिए भोजन की आवश्यकताएं उपलब्ध कराएं।
3. बीपीएल और एपीएल कार्ड रखने वाले सभी श्रमिकों को तत्काल नकद राशि 10,000 या एक महीने की न्यूनतम मजदूरी हस्तांतरण की जानी चाहिए।
4. मनरेगा और कृषि श्रमिकों में नामांकित श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी के 50 दिनों के लिए अग्रिम भुगतान करना चाहिए, साथ ही 10,000 रुपये या एक महीने की न्यूनतम मजदूरी भी ।
5. निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड कार्ड 'रखने वाले श्रमिकों को रु. 10,000 या एक महीने की न्यूनतम मजदूरी दी जानी चाहिए।

6. नगरपालिका संस्थानों द्वारा सर्वेक्षित, चालान किए गए एवं वेंडिंग के लिए लाइसेंस या पहचान पत्र रखने वाले स्ट्रीट वेंडर्स एवं जिन स्ट्रीट वेंडर्स को एनएसडीसी और एफएसएसएआई द्वारा प्रशिक्षित किया गया है, उन्हें एक महीने का @ 10,000 या न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए।
7. दैनिक वेतन भोगी श्रमिक / प्रवासी कामगार, घरेलू कामगार, कूड़ा बीनने वाले श्रमिकों को जिला प्रशासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत किया जाना चाहिए और शहरी क्षेत्रों में नगर निकायों द्वारा एक महीने का राशि 10,000 या न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए।
8. ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले ऑटो रिक्शा और टेम्पो माल वाहक श्रमिकों को एक महीने की राशि 10,000 या न्यूनतम मजदूरी दी जानी चाहिए।
9. नकदी के साथ-साथ सभी श्रमिकों को सुरक्षा गियर भी प्रदान करने की आवश्यकता है |
10. स्लम वासी, उनमें से अधिकांश श्रमिक वर्ग, गरीब स्वच्छता, पानी की कमी और सीवेज के निकटता वाले उच्च घनत्व वाले इलाकों में रहते हैं। ये मौत के जाल बन सकते हैं और कोरोनोवायरस के विस्तार के लिए केंद्र बिंदु। मलिन बस्तियों और कम आय वाले इलाकों में स्वच्छता और स्वच्छ पानी के प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए भी तत्काल उपाय किए जाने चाहिए।
11. बैंकों को असंगठित / अनौपचारिक क्षेत्र को लगातार ऋण सहायता प्रदान करनी चाहिए |

आपको धन्यवाद

Arbind Singh

अरबिंद सिंह
समन्वयक
9910306625